UPJS010052962022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश

(आवश्यक वस्तु अधिनियम) झांसी।

उपस्थितः धीरेन्द्र कुमार- तृतीय (एच०जे०एस०)

(JO Code No. - UP 6145)

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद/ अन्तिम आख्या संख्या- ८५०/ २०२२

सौरभ निगम बनाम सोनी यादव

धारा- १३६ भारतीय विद्युत अधिनियम

थाना- एण्टी पावर थेफ्ट, जिला झांसी

मु०अ०सं०- १२७७/ २०२२

दिनांक- १२. ११. २०२२

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी। वादी मुकदमा ने न्यायालय में उपस्थित आकर इस आशय का प्रार्थना पत्र ७ए प्रस्तुत किया गया अभियुक्त द्वारा शमन व राजस्व जमा किया जा चुका है। विवेचक द्वारा प्रेषित एफ०आर० से सतुष्ट हूं, एफ० आर० स्वीकृत होने में कोई आपत्ति नहीं है। एफ०आर० स्वीकार करने की कृपा करें।

सुना गया ।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी मुकदमा की याचना अनुसार विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा न्यायालय में प्रेषित की गयी अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक १२. ११. २०२२

(धीरेन्द्र कुमार- तृतीय)
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०) /
अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

मोहित कुमारः आशुलिपिक

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR
Date: 2022.11.12 11:24:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court